



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 403 राँची, मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

22 अगस्त, 2022

संख्या-22/विविध-01-24/2022- 48(22)—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं०- D.O.No.U.11019/08/2022 HR दिनांक- 04.02.2022 एवं D.O.No.U.11019/08/2022 HR दिनांक-04.05.2022 में निहित निदेश के आलोक में The Assisted Reproductive Technology (Reproductive) Act, 2021 की धारा 12 (2) एवं The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 की धारा 35 (2) के तहत झारखण्ड राज्य के लिए Appropriate Assisted Reproductive Technology & Surrogacy Authority का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1.	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड के विषय प्रभारी संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव	- अध्यक्ष (पदेन)
2.	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड के उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक	-उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	महिला संगठन की एक प्रतिष्ठित महिला प्रतिनिधि	- सदस्य
4.	विधि विभाग, झारखण्ड के उप सचिव से एक अन्यून पदाधिकारी	- सदस्य (पदेन)
5.	एक पंजीकृत प्रतिष्ठित चिकित्सक	- सदस्य

2. भारत सरकार के पत्रांक-D.O.No.U.11019/08/2022 HR दिनांक-04.05.2022 के आलोक में उपर्युक्त क्रमांक 3 एवं 5 में उल्लिखित महिला संगठन की महिला प्रतिनिधि/तथा पंजीकृत चिकित्सा पदाधिकारी के चयन एवं नियुक्ति की अधिसूचना बाद में निर्गत की जायगी।

3. Appropriate Authority का कार्य एवं दायित्व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।
